बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नालन्दा जिलान्तर्गत सोहसराय थाना के मुहल्ला–श्रृंगारहाट में करीब 10वर्षों से श्री अजय सिन्हा के मकान में किराये पर रहने वाले श्री मनोज कुमार चौधरी, पिता स्व. गुरू प्रसाद चौधरी के पुत्र रिषभ कुमार जो आर.एच. पब्लिक स्कूल कागजी मुहल्ला, छोटी पहाड़ी, बिहारशरीफ में सप्तम वर्ग के छात्र हैं। श्री कुमार दिनांक- 10/01/2017 को संध्या 6:30 बजे अपने घर से साईकिल द्वारा छोटी पहाड़ी की तरफ गया। काफी देर एवं रात्रि होने पर घर नहीं आया तो खोजबीन की गई। रिषभ कुमार के नहीं मिलने पर सोहसराय थाना में दिनांक-11/01/2017 को एफ.आई.आर. कांड संख्या- 04/17 दर्ज किया गया है। इसके पश्चात दिनांक- 11/01/2017 एवं 12/01/2017 को लापता होने के खबर लाउडस्पीकर द्वारा प्रचारित कराया गया एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया गया। इसके उपरांत दो बार पुलिस अधीक्षक, नालंदा से मिला, परंतु किसी तरह की कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक- 18/01/2017 को लहेरी थाना के विकास नगर रोड के किनारे झाड़ी के पास रिषभ कुमार का क्षत विक्षत शव मिला। परंतु एक महीना से ऊपर समय व्यतीत होने के बाद भी अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है तथा सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः नालंदा जिला के सोहसराय थाना कांड संख्या- 04/17 दिनांक- 11/01/2017 को श्री मनोज कुमार चौधरी के पुत्र रिषभ कुमार के हत्यारे की गिरफ्तारी करने तथा सजा दिलाने, उदासीन पुलिस पर कार्रवाई करने एवं सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि पीड़ित परिवार को भुगतान करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजेश राम, स.वि.प.
ह./- मनोज यादव
ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा, स.वि.प.
ह./- रीना देवी, स.वि.प.
ह./- संजय प्रसाद, स.वि.प.
ह./- सी.पी. सिन्हा, स.वि.प. एवं
ह./- सतीश कुमार, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 143/2017– 563 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा दिनांक- 21.11.2016 को गृह निगरानी विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक निगरानी, गृह सचिव को भ्रष्ट लोक सेवक के विरूद्ध चल रहे मुकदमें में तेज गति से स्पीडी ट्रायल कराने का निर्देश दिए गए थे। दीन दयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय, खजुरिया (बरौली) गोपालगंज के अध्यक्ष, सचिव, प्राचार्य के विरूद्ध 50.00 लाख के गबन का एक मामला निगरानी में दर्ज है जिसकी प्राथमिकी संख्या- 034/2015, दिनांक- 07.05.2015 को दर्ज धारा 409, 420, 467, 471/ 477 (A) 120 (B), 13(2) सह पठित धारा 13 (1) (D) के तहत दर्ज की गई है। उच्चस्तरीय निर्देश के बावजूद अबतक निगरानी वाद संख्या- 034/2015 निगरानी के द्वारा स्पीडी ट्रायल अबतक प्रारंभ नहीं की गई है।

शैक्षणिक सत्र 2006-08 के अनुदान की राशि के वितरण/ भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक- 360 दिनांक- 19 मार्च, 2014 द्वारा निगरानी विभाग, बिहार पटना के जांच करने की अनुशंसा की गयी है। निगरानी विभाग से प्राप्त अनुरोध के आलोक में सक्षम प्राधिकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आदेस सं. स्था.प्रे.- 4012 दिनांक- 20 मार्च 2017 एवं आदेश स्था.प्रे.- 4013 दिनांक- 20 मार्च, 2017 द्वारा निगरानी थाना कांड सं.- 034/2015 दिनांक- 07.05.2015 से संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्राचार्य के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है, फिर भी 1 वर्ष 9 माह बीत जाने के बावजूद निगरानी विभाग के द्वारा अबतक पूर्ण नहीं की गई न ही निगरानी न्यायालय में चार्ज शिट ही दाखिल किया है।

अत: मैं सदन के माध्यम से स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- मो. जावेद इकबाल अंसारी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-बि.प.अ.प्र.- 153/2017– 591 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 28.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ निगरानी विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग में निविदाओं में आरक्षण लागू किया है। पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में भवन निर्माण विभाग, मोतिहारी तथा पथ निर्माण विभाग मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा आरक्षित वर्ग के कितने निविदा संवेदकों के नाम पर एग्रीमेंट किया गया है तथा आरक्षित वर्ग के चयनित निविदाओं का भुगतान कितना किया गया है।

अत: वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में जिन आरक्षित वर्ग के संवेदकों के नाम एवं पता, कितना आरक्षित वर्ग के संवेदकों को आरक्षण का पालन करते हुए टेंडर मिला तथा भुगतान कितना किया गया है। अगर उक्त विभाग द्वारा बिहार सरकार द्वारा दिए गए भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण में निविदाओं का पालन नहीं किया गया है तो उन पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सतीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 156/2017– 600 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 28.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2006 (यथा संशोधित 2014) एवं बिहार सरकार के संकल्प की कंडिका 6-8 के अनुसार चयनित जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात इच्छित विद्यालयों में नियोजन का प्रावधान है। बिहार सरकार के संकल्प की कंडिका- 10(1) के अनुसार जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक एवं जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का पद अस्थानांतरित होगा। किंतु शिक्षक अपनी सेवा काल में तीन वर्षों के बाद जिला परिषद् के क्षेत्राधीन विद्यालयों में अपनी सुविधानुसार स्वेच्छिक स्थानानतरण का आवेदन देकर अधिकतम दो स्थानान्तरण ले सकेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार के संकल्प के तहत नियोजित जिला परिषद् माध्यमिक/ उच्चतर शिक्षकों को काउंसलिंग/ स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन के तहत समीप के इच्छित विद्यालय में ही पदस्थापित किया जाना है ताकि वे कम वेतन में जिविकोपार्जन करते हुए कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। परंतु पिछले दो वर्षों के दौरान देखा जा रहा है कि राज्य के कई जिलों में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् सह-उप विकास आयुक्त द्वारा उक्त नियम एवं बिहार सरकार के संकल्प के विपरीत लगातार प्रशासनिक आधार बनाकर स्थानांतरण किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप श्री दिनेश कुमार राय, जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक का स्थानान्तरण राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय सिरीस, बारून औरंगाबाद से उपेन्द्र उच्च विद्यालय, मलहद गोह, औरंगाबाद कर दिया जो कि मनमाना एवं तुगलकी आदेश है।

अत: राज्य में नियम के विपरीत हो रहे इस तरह के मनमाने स्थानान्तरण पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजीव श्याम सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 146/2017– 559 (1)./ वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

रोहतास एवं कैमूर जिला को बासमती उत्पादक किसान 3 करोड़ 30 लाख रुपये भुगतान के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को विवश है। विदित हो कि रोहतास एवं कैमूर जिला के किसान वित्तीय वर्ष 2014-2015 में बासमती धान का उत्पादन किए थे उत्पादित धान पैक्स में जमा नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार ने इस धान की खरीददारी की थी और 38,000 क्विंटल धान 15 मजदूरों के नाम पर स्टेट बेयर हाउस सासाराम एवं सेन्ट्रल वेयर हाउस नोखा के नाम से जमा धान की रसीद बेयर हाउस द्वारा ले लिया गया और उसी रसीद को जमानत के तौर पर रखकर केनरा बैंक सासाराम से वर्णित 15 मजदूरों के नाम पर 7 करोड़ 50 लाख रुपये का लोन ले लिया गया तथा लोन की कुल राशि निकालकर श्री पुष्पेन्द्र सुमन सहित पांचों व्यापारियों ने आपस में बंदरबांट कर लिया। यह घोटाला केनरा बैंक सासाराम एवं व्यापारियों की मिली भगत से हुआ है। इस राशि का भुगतान पाने के लिए किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं तथा इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक की गुहार लगा चुके हैं किंतु विडम्बना है कि आज तक न तो आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई हुई और न ही किसानों की राशि भुगतान के लिए कोई पहल ही की जा सकी जिससे किसान क्षुब्ध व आक्रोशित हैं।

अत: मैं सरकार से नीलामी से प्राप्त राशि को किसानों के बकाया में सामंजन करने तथा राशि का बंदरबांट करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 144/2017– 564 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ सहकारिता विभाग, बिहार/ खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में विधवा, वृद्ध एवं नि:शक्त लोगों के लिए चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान लगभग 10 महीने से लंबित है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में लगभग 65 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं जिनमें से अबतक सरकार द्वारा लगभग 35 लाख पेंशनधारियों को ही भुगतान किया गया है और शेष पेंशनधारी इसकी आस में टकटकी लगाए बैठे हैं।

अत: विधवा, वृद्ध एवं नि:शक्त लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रजनीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 142/2017– 557 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बक्सर जिलान्तर्गत ग्राम- पाण्डेय पट्टी में जल निकासी की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। बक्सर शहर के अभिन्न हिस्सा के रूप में विकसित इस गांव में जल निकासी के लिए बने पूर्व के निकास अर्थात् चाट, पुलिया, नाला तथा जल निकासी के अन्य परंपरागत श्रोत भरते चले गए। शहरीकरण की अंधाधुंध रफ्तार में मकान बनते गए जल निकासी के रास्ते अवरूद्ध होते गए।

अत: ग्राम पाण्डेय पट्टी बक्सर जो ग्राम पंचायत में है कि जल निकासी के लिए कोई ठोस योजना बनाने के लिए सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राधाचरण साह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 141/2017– 556 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 24.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण हेतु सरकार द्वारा अपने संसाधन से माह जनवरी, 2015 से सास (SAAS- Software as a solution) सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है एवं इस सॉफ्टवेयर पर सरकार द्वारा बड़ी राशि खर्च की जा रही है। जबकि केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को योजनाओं के अनुश्रवण हेतु पूर्व से ही सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हुए इसके उपयोग हेतु निदेशित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस कार्य हेतु एक बड़ी राशि खर्च की जा रही है जो निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता है।

अतएव इस अनियमितता की जांच कराते हुए दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- हीरा प्रसाद बिन्द,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 152/2017– 586 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बेनीपट्टी थाना कांड संख्या- 25/17, दिनांक- 15.02.2017 दर्ज हुआ है, जिसमें गुलशन खातून ने बेहोशी के हालत में बयान दर्ज करवाया है। पुलिस ने उक्त थाना कांड में नामजद अभियुक्त को बचाने का कार्य कर रही है। अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभियुक्त के भय से याचिकाकर्ता का परिवार भयभीत है। सुशासन के राज्य में कानून का राज स्थापित नहीं हो रहा है। एक परिवार की बच्ची को अपहरण कर उसे जिन्दा जला दिया गया है और अपहृत बच्ची की माता, जो अल्पसंख्यक गरीब परिवार से है, को सरपंच पति एवं उसके गुर्गे द्वारा लटका कर बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस ने अपहृत बच्ची की माता से बेहोशी की हालत में बयान दर्ज करने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, परन्तु थानेदार ने आरोपियों से रूपये की लेन-देन की पी.आर.बांड भरवाकर सभी लोगों को उसी दिन छोड़ दिया। यह एक दर्दनाक घटना है एवं इसमें पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदेहात्मक है, क्योंकि पुलिस द्वारा न्यायसंगत कार्य नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षक के पास पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई थी। लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। राज्य में दलित व अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद सरकार का पोल खुल रहा है कि राज्य में कानून का राज है। उक्त थाना कांड की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है, ताकि पुलिस की संलिप्तता की जांच किया जा सके। ऐसे में पुलिस से जांच नहीं कराया जा सकता है।

अतः सदन में सरकार से बेनीपट्टी थाना कांड संख्या- 25/17 दिनांक- 15.02.2017 की उच्चस्तरीय जांच कराने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- विनोद नारायण झा, स.वि.प.
ह./- मो. गुलाम रसूल, स.वि.प.
ह./- रामचन्द्र भारती, स.वि.प. एवं
ह./- सतीश कुमार, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 150/2017– 587 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ ससदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

अनुसूसचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षण शुल्क एवं अन्य के लिए वर्ष 2015-16 तक प्रति छात्र-छात्रा 1 लाख रुपये तक भुगतान किया जाता था। किन्तु वर्ष 2016-17 में इस राशि को घटाकर 15,000/- रुपये तक सीमित कर दिया गया, जिससे इस वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में काफी मुश्किल का सामना करना पड रहा है। अब सरकार ने वर्ष 2016-17 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के नए छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति बंद करने का भी निर्णय ले लिया है।

अत: वर्ष 2016-17 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि कम करने एवं नए छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति बंद करने के संबंध में सरकार से सदन में एक वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सूरजनंदन प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 158/2017– 603 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 28.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री मा. उप मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ कल्याण विभाग, बिहार/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 31.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

28/03/17

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।